पत्रांक–02/वि01–107/2019.....1606.

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002

संकल्प

विषयः– राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर) के सेवानिवृत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक 01.12.2004 के पूर्व नियुक्त) को 7th CPC के अन्तर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत करने के संबंध में।

मानव संसाधन विकास विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक–1–1/2017–U.II, दिनांक 11.06.2018 के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के दिनांक–01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को 7th CPC के अन्तर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का प्रावधान है।

भारत सरकार के उक्त पत्र तथा झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (अंगीकृत एंव यथा संशोधित), 2000 के अन्तर्गत गठित परिनियम (Statute For The Grant of Retirement Benefits to Employees of The Bihar/Ranchi/Bhagalpur/Magadh/L.N. Mithila /K.S.D. Sanskrit University) के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर) के सेवानिवृत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक–01.12.2004के पूर्व नियुक्त) को 7th CPC के अन्तर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक 01.04.2021 से लागू करने की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या–306, दिनांक–09.03.2022 के द्वारा प्रदान की गई है।

2. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को यू0जी0सी0 पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त की स्वीकृति संबंधी विभागीय संकल्प संख्या–1188 दिनांक–20.11.2010 की कंडिका–19 में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के सेवानिवृत पेंशनधारी शिक्षकों के संबंध में भी दिनांक–01.01.2006 से यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित पेंशन वैचारिक रूप से एवं वास्तविक लाभ दिनांक–01.04.2010 से देय होने का प्रावधान था, जिसे विभागीय संकल्प संख्या–293 दिनांक–07.03.2022 द्वारा निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सेवानिवृत पेंशनधारी शिक्षकों के संबंध में दिनांक–01.01.2006 से यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित वेतनमान के आधार पर निर्धारित पेंशन का वास्तविक लाभ दिनांक–01.01.2006 से देय होने का निर्णय लिया गया।

3. विदित हो कि WP(S) No. 3962/2016 Jharkhand Retired University Teachers Association represented through its working president and Anr. V/s State of Jharkhand में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक–22.03.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन

में उक्त वाद से संबंधित सेवानिवृत शिक्षकों को दिनांक–01.01.2006 से दिनांक–31.03.2010 तक के अवधि का बकाया पेंशन के अन्तर राशि का कुल 6% ब्याज के भुगतान की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या–1127 दिनांक–25.07.2022 के द्वारा प्रदान किया गया।

उक्त के आलोक में संदर्भित वाद से उत्पन्न अवमाननावाद संख्या–735/2021 (WP(S) No. 3962/2016 से उद्भूत) में दिनांक–11.11.2022 को माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा सुनवाई करते हुए सभी योग्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को 6% ब्याज के भुगतान का आदेश दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में सभी योग्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को दिनांक 01.01.2006 से दिनांक–31.03.2010 तक के अवधि का बकाया पेंशन अन्तर राशि का 6% ब्याज के साथ भुगतान की स्वीकृति विभागीय संकल्प संख्या–2030 दिनांक–26.09.2023 के द्वारा प्रदान किया गया।

4. WP(S) No. 1255/2023 Dr. Amal Choudhary & Another Vs The State of Jharkhand and Other वाद में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–306, दिनांक–09.03.2022 में संशोधन कर विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर) के सेवानिवृत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक–01.12.2004के पूर्व नियुक्त) को 7th CPC के अन्तर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक 01.04.2021 को संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2016 की तिथि से 6% ब्याज के साथ स्वीकृत करने का मामला विचाराधीन है। इस संदर्भ में Federation of Retired University Teachers Association, Jharkhand, Ranchi के द्वारा भी सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक–01.01.2016 से स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

5. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर) के सेवानिवृत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक–01.12.2004 के पूर्व नियुक्त) को सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन लाभ दिनांक–01.01.2016 से 6% ब्याज सहित स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श की शर्त्तों को समाहित करने की शर्त्त के साथ स्वीकृति दी गई है।

उक्त मामले में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रदत्त परामर्श की शर्त्तें निम्नवत् है :–

In view of the above it is hereby opined that the state may proceed with granting the 7th Pay revision benefit while imposing specific conditions to protect the states interest including making the grant explicitly

(a) "subject to the final outcome" of the L.P.A or any other litigations,

(b) obtaining an undertaking from the petitioner that they will refund the amount if the State succeeds in L.P.A or any other litigations,

(c) establishing a clear recovery clause for over payment

6. अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–306, दिनांक 09.03.2022 में संशोधन करते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर) के सेवानिवृत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक–01.12.2004

के पूर्व नियुक्त) को 7th CPC के अन्तर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक 01.04.2021 को संशोधित करते हुए दिनांक–01.01.2016 की तिथि से 6% ब्याज के साथ कंडिका–5 में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रदत्त परामर्श की शर्त्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

7. विभागीय संकल्प संख्या–306 दिनांक–09.03.2022 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

8. प्रस्ताव पर दिनांक–21.07.2026 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–21 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

31.7.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02/वि01–107/2019 1606 राँची, दिनांक– 03/08/2026

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), झारखण्ड, डोरण्डा, राँची/ई–गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31.7.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02/वि01–107/2019 1606 राँची, दिनांक– 03/08/2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02/वि01–107/2019 1606. राँची, दिनांक– 03/07/2026

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, झारखण्ड/अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड /माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग/सचिव, वित्त विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची/जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.7.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

Rlow